न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 115 / 2024 तारीख पेश — 26.9.2024

प्रार्थना पत्र धारा [illegible]

मिशल आई0डी0 नम्बर 2024 / 153

उनवान

प्रेमलता पुत्री रघुवीरशरण जाति ब्राह्मण निवासी 66 ए कृष्ण नगर [illegible] मार्ग सरस्वती मार्ग खेड़ली चांदक कोटा राजस्थान

.....सायल

बनाम

कैलाशचन्द पुत्र रघुवीर जाति ब्राह्मण निवासी [illegible] हिण्डौन जिला करौली

.....गैरसायलान

कार्य अहकाम

दिनांक	
26.9.2024	यह प्रार्थना पत्र सायलान की ओर से श्री युसुफ खाँ एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.05.2024 को पेश हो। (हेमराज गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली
24/5/24	पत्रावली [illegible] उपस्थित [illegible] बाद इंतजार वकील [illegible] दिनांक [illegible] को पेश हो। 22-7-24
22/7/24	वकीलान उपस्थित/पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त प्रकरण है। मामानुसार दिनांक..... को पेश करें 25-10-24
25/10/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण में प्रार्थी व प्रार्थी वकील को बार-बार अवाज लगवाये जाने के बावजूद प्रार्थी व प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं हुए। इससे जाहिर है कि प्रकरण को प्रार्थी व प्रार्थी वकील आगे चालू रखने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मु. नं. 109/2024 प्रार्थना [illegible] प्रेमलता बनाम कैलाशचन्द [illegible] में पारित किया जाता है। पत्रावली फैसल रुबकार की जाकर, सम्बन्धान से कम करते हुए, दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:00:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner